(2)

न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 60/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

——प्रार्थी

बनाम

श्री हरिराम पुत्र श्री कान्हाराम, जाति कुमावत, निवासी वार्ड नं0 4 टमकोर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 827 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 5 प्लास्टिक जरिकेन, दो लोहे की कीप, लोहे के तीन माप व ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित मशीन को राजसात करने बाबत।

——

उपस्थितः–

1. श्री विकास महला, विभागीय प्रतिनिधि–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, एडवोकेट–अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 10.08.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वान जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रा0प0 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के पद पर पदस्थापित है जो लोक सेवक की श्रेणी मे आता है। दिनांक 25.03.2021 को जरिये मुखबीर श्री हरिराम पुत्र श्री कान्हाराम, जाति कुमावत, उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 4 टमकोर, तहसील मलसीसर के द्वारा डीजल/पेट्रोल के अवैध भंडारण व बिकी की शिकायत प्राप्त होने पर मैं कपिल झाझडिया, जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं बहमराह विकास महला, प्रर्वतन अधिकारी, बुहाना, कमल कुमार मीणा, प्रर्वतन निरीक्षक, मलसीसर जांच हेतु टमकोर, तहसील मलसीसर पहुंचे। श्री हरिराम पुत्र श्री कान्हाराम, जाति कुमावत, उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 4 टमकोर, तहसील मलसीसर मे हडियाल–टमकोर सडक पर टमकोर बस स्टेण्ड के पास स्वयं की दुकान पर स्वयं उपस्थित थे। दुकान के भीतर 200 लीटर भराव क्षमता के 8 प्लास्टिक ड्रम, 5 जरीकेन भराव क्षमता [illegible] लोहे के तीन माप कमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर क्षमता के तथा ड्रम से तेल [illegible] की हस्तचालित मशीन रखी पाई। जिनकी जांच व माप करने पर कुल 83[illegible] मौका नजरी नक्शा सलंग्न है। मौके पर 830 लीटर डीजल [illegible] करने के साक्ष्य के रूप मे विभिन्न क्षमता के माप पाये जाने पर श्री हरिराम पुत्र श्री कान्हाराम, जाति कुमावत, उ[illegible], निवासी वार्ड नं0 4 टमकोर, तहसील मलसीसर से डीजल अपने अ[illegible]कार मे रखने व बिकी [illegible] के संबंध मे कोई दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नही करवाये। बिन्दू सं0 1 से 4 के तथ्यों के आधार पर मौके पर उपलब्ध 830 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 5 प्लास्टिक जरीकेन, दो लोहे की कीप, लोहे के तीन माप व ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन को मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(Q) (R) व धारा 3 (4)(6) का उल्लधंन पाये जाने पर धारा 7 के तहत प्रद्वत शक्तियों के अनुशरण मे जब्त सरकार किया गया व एक–एक लीटर के तीन सैम्पल तैयार कर शेष 827 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 5 प्लास्टिक जरीकेन, दो लोहे की कीप, लोहे के तीन माप व ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित

Signature Not Verified
Digitally Signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:40:38 IST
Reason: SelfAttested

मशीन को सुरक्षा की दृष्टि से जांच मे सहयोग हेतु मौके पर बुलाये गये श्री भागीरथ पुत्र श्री ज्ञानाराम, निवासी वार्ड नं0 4 टमकोर, तहसील मलसीसर उम्र 57 साल की सुपुर्दगी मे दिया गया। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री हरिराम पुत्र श्री कान्हाराम, जाति कुमावत, उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 4 टमकोर, तहसील मलसीसर द्वारा डीजल का अवैध भंडारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R)व धारा 3(4)(6) का स्पष्ट उल्लधंन किया है। अतः उपर्युक्त जब्तशुदा 827 लीटर डीजल (830 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 5 प्लास्टिक जरीकेन, दो लोहे की कीप, लोहे के तीन माप व ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि डीजल एवं ज्वलनशील पदार्थ है व इसमे छीजत की संभावना है। अतः उक्त डीजल के अंतरिम निस्तारण आदेश जारी करने का भी कष्ट करें।

बहस सुनी गयी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया किदिनांक 25.03.2021 को श्री हरिराम पुत्र श्री कान्हाराम, जाति कुमावत, उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 4 टमकोर, तहसील मलसीसर मे हडियाल–टमकोर सडक पर टमकोर बस स्टेण्ड के पास स्वयं की दुकान का निरीक्षण किया गया था। वरवक्त निरीक्षण दुकान के भीतर 200 लीटर भराव क्षमता के 8 प्लास्टिक ड्रम, 5 जरीकेन भराव क्षमता 50 लीटर, दो लोहे की कीप, लोहे के तीन माप क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर क्षमता के तथा ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित मशीन रखी पाई। जिनकी जांच व माप करने पर कुल 830 लीटर डीजल भंडारित पाया। मौके पर 830 लीटर डीजल भण्डारित पाये जाने एवं बिकी करने के साक्ष्य के रूप मे विभिन्न क्षमता के माप पाये जाने पर अप्रार्थी से डीजल अपने अधिकार मे रखने व बिकी करने के संबंध मे कोई दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नही करवाये। अप्रार्थी द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R) व धारा 3(4)(6) का उल्लधंन करने पर प्रार्थी द्वारा धारा 7 के तहत प्रद्वत शक्तियों के अनुशरण मे जब्त सरकार किया गया व एक–एक लीटर के तीन सैम्पल तैयार कर शेष 827 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 5 प्लास्टिक जरीकेन, दो लोहे की कीप, लोहे के तीन माप व ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन को सुरक्षा की दृष्टि से जांच मे सहयोग हेतु मौके पर बुलाये गये श्री भागीरथ पुत्र श्री ज्ञानाराम, निवासी वार्ड नं0 4 टमकोर, तहसील मलसीसर उम्र 57 साल की सुपुर्दगी मे दिया गया। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि द्वारा द्वारा डीजल का अवैध भंडारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2(Q)(R)व धारा 3(4)(6) का स्पष्ट उल्लधंन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपर्युक्त जब्तशुदा 827 लीटर डीजल (830 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 5 प्लास्टिक जरीकेन, दो लोहे की कीप, लोहे के तीन माप व ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:40:38 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने विभागीय ... का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी के पास पिकअप गाडी है। ... पिकअप मे डालने के लिए ही अप्रार्थी उक्त डीजल खरीद कर लाया था जिसका बिल भी पेश किया ... है। अप्रार्थी द्वारा न तो कोई अवैध डीजल भण्डारण किया गया है और न ही डीजल का अवैध विक्रय किया गया है। यदि अप्रार्थी द्वारा अवैध डीजल विक्रय किया गया है तो विभागीय प्रतिनिधि साबित करे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी को जब्तशुदा 830 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 5 प्लास्टिक जरीकेन, दो लोहे की कीप, लोहे के तीन माप व ड्रम से तेल निकालने की एक हस्तचालित मशीन अप्रार्थी को अतिशीघ्र दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तथा वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी जिला रसद अधिकारी झुंझुनू द्वारा दिनांक 25.03.2021 को अप्रार्थी हरिराम पुत्र कान्हाराम की स्वयं की दुकान के निरीक्षण के दौरान 830 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 5 प्लास्टिक जरिकेन, दो लोहे की कीप, लोहे के तीन माप व ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित एक मशीन को जप्त किया गया है। जिसके संबंध में अप्रार्थी का तर्क यह रहा है कि उक्त जप्त 830 लीटर डीजल वह अपनी गाड़ी में डालने हेतु यानी स्वयं के उपयोग हेतु लाया था। उसके द्वारा डीजल का बेचान करने का कोई प्रमाण भी नहीं है तथा डीजल की खरीद का बिल भी है। इसके समर्थन में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर 2019(2)सीआर.एल.आर.(राज.) 857 के अनुसार '' केन्द्रीय नियंत्रण आदेश के अनुसार 2500 लीटर तक पैट्रोलियम उत्पाद का विक्रय अनुज्ञेय है – डीजल जप्त किया जब किया जब वाहन में परिवहन कर रहा था – निर्णीत, आदेश रद् व अपास्त किया तथा जप्त वाहन एवं डीजल बिना शर्त व तुरन्त याची को छोड़ा जावें।'' उक्त जप्ती की कार्यवाही प्रार्थी द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा 2 ()() व धारा 3 ()() का उल्लंघन करने पर की आदेश की धारा 7 के तहत की गई है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। विभागीय पैरोकार ने तर्क प्रस्तुत किया है कि जप्त 830 लीटर डीजल के साथ माप थे, प्लास्टिक के जरीकन थे तथा ड्रम से तेल निकालने के लिऐ हस्तचालित मशीन भी है। गाड़ी के उपयोग हेतु हर 10 – 12 किलोमीटर पर पेट्रोल पम्प स्थित है। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से डीजल का बेचान करने हेतु डीजल का भण्डारण किया गया था। हम विभागीय पैरोकार के कथनों से सहमत है अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्त डीलज का भण्डारण बेचने हेतु किया गया था। अप्रार्थी द्वारा गाड़ी के उपयोग हेतु हरियाणा से डीजल लाकर संग्रहित करना स्वीकार्य नहीं है।

प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही की फर्द मौका में अंकन है कि '' मौके पर श्री हरिराम से उक्त डीजल के सम्बन्ध में कोई भण्डारण एवं विक्रय अनुज्ञप्ति अथवा अन्य कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। मौका दिए जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया। '' इस फर्द पर स्वयं अप्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये है। इससे साफ है कि जप्ती की कार्यवाही दिनांक 25.03.2021 को अप्रार्थी के पास उक्त जप्त डीजल के स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं था। अप्रार्थी द्वारा जप्ती की कार्यवाही के बाद साक्ष्य बनाये है, जो मान्य नहीं है। अप्रार्थी के इस कृत्य से राजस्व हानि के साथ – साथ पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण से आमजन की सुरक्षा को होने वाले खतरों से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्त 830 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम, 5 प्लास्टिक जरिकेन, दो लोहे की कीप, लोहे के तीन माप व ड्रम से तेल निकालने की हस्तचालित एक मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु [illegible] नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें। आ[illegible] झुंझुनू को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:40:38 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/08/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं